न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत

पीठासीन अधिकारी :– शारदा चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 38/2021

1. हाकम खां वल्द पीरू खां कौम मुसलमान साकिन कावनी तहसील व जिला बीकानेर

———वादी———

बनाम

1. सतारखां पुत्र खाजूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
2. रमतू खां पुत्र खाजूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
3. मोहम्मद हुसैन पुत्र खाजूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
4. इकबाल पुत्र खाजूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
5. सतन पुत्री खाजूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
6. सायराबानो पत्नि खाजूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
7. सफू पुत्री पीरूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
8. बली पुत्री पीरूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
9. नसीबा पुत्री पीरूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
10. बानू पत्नि साहूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
11. अमीनखां पुत्र साहूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
12. सिकन्दर खां पुत्र साहूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
13. महबूब पुत्र साहूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
14. काली बानौ पुत्री साहूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
15. सनी बानौ पुत्री साहूखां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
16. अब्रिम खां पुत्र नैजे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
17. मवरू खां पुत्र नैजे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
18. मुनिर खां पुत्र नैजे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
19. रता बानौ पुत्री नैजे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
20. तजू पुत्री नैजे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
21. गुनिया पुत्री नैजे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
22. नजिरा पत्नि नैजे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
23. मौजू खां पुत्र खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
24. दीने खां पुत्र खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
25. कप्तान खां पुत्र खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
26. गुडी पुत्री खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
27. सौना पुत्री खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
28. छोटा पुत्री खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
29. पायल पुत्री खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
30. मौना पुत्री खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
31. मिश्रा बानौ पत्नि खानू खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
32. मागी खां पुत्र कमे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
33. हलिमा बानौ पुत्री कमे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
34. खातुन पुत्री कमे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
35. जानू पुत्री कमे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
36. भूरी पुत्री कमे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
37. मंनती पुत्री कमे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
38. सौने खां पुत्र नूरे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
39. सोदे खां पुत्र नूरे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
40. यासीन खां पुत्र नूरे खां मुसलमान सा0 कावनी तह0 व जिला बीकानेर
41. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

———प्रतिवादीगण———

ॐ

अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं15 एएए 2क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

उपस्थिति :—

1. श्री सुमेरदान बीठू वकील वादी
2. श्री अशोक पुरोहित वकील प्रतिवादी सं0 38ता40
3. राजपैरोकार जरिए उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

—: निर्णय :—

दिनांक :— 19.06.2025

1. वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ग्राम कावनी का पुश्तैनी निवासी है और उनके पैतृक भूमि ग्राम कावनी में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज पीरू खां, कमे खां, नूरे खां पि0 रावत खां के नाम से ग्राम कावनी के ख0न0 119 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 182/3 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा की कुल 53 बीघा 7 बिस्वा बहिस्सा बराबर 1/3 कब्जा व अधिकार में चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों का स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जा व अधिकार में स्थित चली आ रही है और वर्तमान में भी इस भूमि पर उनका संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त विवादित भूमि संवत 2008 से लेकर वादी के पूर्वज पीरू खां, कमे खां, नूरे खां पि0 रावत खां के नाम से कब्जा काश्त में चली आ रही है। पूर्वज पीरू खां के स्वर्गवास होने पर विरासतन ना0 सं0 146 दिनांक 05.03.1987 द्वारा प्रतिवादी सं0 1ता6 के पिता खाजू खां के अकेले ने अपने नाम से गलत अंकित करवा ली जबकि भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादीगण का अपने अपने हिस्से अनुसार आज भी चला आ रहा है परंतु खाजू खां द्वारा पीरू खां के वारीसान मौजूद होते हुए भी इन तथ्यों को छुपाते हुए ही ला औलाद बताते हुए अपने अकेले के नाम से वादगत भूमि अंकित करवा ली। ऐसे अवैध इंतकाल के आधार पर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के अधिकार समाप्त नहीं हुए बल्कि आज भी कायम है इसलिए इंतकाल सं0 146 शुरू से शून्य एवं अवैध होने के कारण इसे शून्य घोषित करने हेतु यह वाद घोषणात्मक प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 31 के पिता पीरू खां का 1/3 हि0 एवं प्रतिवादी सं0 32 ता 37 का 1/3 हि0 एवं प्रतिवादीगण सं0 38ता40 का 1/3 हि0 बनता है जिस पर आज दिन तक सभी अपने अपने हिस्से के हद तक काबिज है और प्रतिवर्ष अपने अपने हिस्से की भूमि काश्त करते आ रहे हैं। खाजू खां ने अकेले ना0सं0 146 दिनांक 05.03.1987 के द्वारा गलत बयानी करते हुए गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली जो बिना किसी जांच किये स्वीकृत किया है जो शुरू से अवैध व शून्य होने के कारण ऐसे अवैध अंकन के आधार पर वादी के अधिकार समाप्त नहीं हुए बल्कि आज भी कायम है। इसलिए वादी भूमि ख0न0 119 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 182/3 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा की कुल 53 बीघा 7 बिस्वा भूमि में अपने 1/24 हिस्से की भूमि अपने नाम अंकित करवाने का अधिकारी है जिसके लिए वादी ने घोषणात्मक प्रस्तुत किया है। वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर वादी के भाई ने गलत बयानी करते हुए अकेले अपने नाम से सभी हिस्सेदारों की भूमि दर्ज करवा ली ऐसे अवैध अंकनों को निरस्त करके वादी अपने एवं अन्य वारिसान के नाम से अंकित करवाना चाहता है।
2. सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 से 18, 22,23,25, 31,32,38,39,40 की तरफ से श्री राधाकिशन स्वामी वकील ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 38 से 40 की आरे से श्री अशोक पुरोहित वकील ने

वकालतनामा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात रजिस्टर्ड सम्मन जारी करने के बावजूद प्रतिवादीगण सं0 19ता21, 24,6ता30, 33ता37 अनुपस्थित रहने पर दिनांक 05.09.2024 को उक्त प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं दिनांक 26.09.2024 को प्रतिवादी सं0 1 से 18, 22,23,25, 31,32 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु 500 रूपए की शास्ति पर जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया। इसके बावजूद उक्त प्रतिवादीगणों के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. वादीगण के वकील ने वादपत्र के सलंग्न पटवारी हल्का कावनी द्वारा जारी ग्राम कावनी की खसरा गिरदावरी की नकल, नक्शा की प्रति पेश की जो वाद पत्रावली में सलंग्न है।
4. राज पैरोकार द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि वर्तमान में उपरोक्त वादगत भूमि खाजू खां वल्द पीरू खां, कमे खां वल्द रावत खां, गवरा जोजा नूरे खां, साणे खां, यासीन खां, सादकखां पि0 नूरे खां कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज अभिलेख है। साथ ही विशेष कथन किया कि ग्राम कावनी के ख0न0 119 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 182/3 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा की कुल 53 बीघा 7 बिस्वा पीरू खां, कमे खां, नूरे खां पि0 रावता खां कौम मुसलमान पडिहार सा0 देह बहिब खातेदार दर्ज था एवं पीरू खां के फौत होने पर ना0सं0 146 दिनांक 05.03.1987 से खाजु खां वल्द पीरू खां, कमे खां, नूरे खां पि0 रावताखां कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज हुई। ग्राम पंचायत कावनी द्वारा दिनांक 12.09.2016 को जारी पीरू खां के वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार पीरू खां वल्द रावत खां कौम मुसलमान के निम्न जायज वारिसान खानुखां, खाजुखां, नेजेखां, हाकमखां, साहुखां, सफू, बली, नसीबा पुत्र पुत्रियां पीरूखां हैं। ग्रामवासियों से पूछताछ के आधार पर वर्तमान में खानुखां, खाजु खां, नैजेखां वल्द पीरूखां भी फौत हो चुके हैं। खाजुखां वल्द पीरूखां के जायज वारिसान सतार खां, रमतुखां, मोहम्मद हुसैन, इकबाल, सतन, सायरा बानो पत्नि खाजुखां हैं। खानुखां वल्द पीरूखां के जायज वारिसान मौजूखां, दीनेखां, कप्तानखां, गुडी, सोना, छोटा, पायल, मौना पि0 खानूखां, मिश्रा बानो पत्नि खानूखां हैं एवं नैजेखां वल्द पीरूखां के जायज वारिसान अब्रिमखां, भवरूखां, मुनीरखां, रताबानो, तजू, गुनिया, नजिरा जोजा नैजे खां हैं। राज पैरोकार का जवाब शामिल पत्रावली किया गया।
5. वाद पत्र में वादी ने ग्राम कावनी के खसरा नंबर 119 रकबा 7.70 बीघा, खसरा नंबर 182/3 तादादी 45.65 बीघा कुल 53.35 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण (पीरूखां के समस्त वारिसान) उक्त खसरा नंबरान के सहखातेदारान के साथ दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।
6. वादपत्र, वादपत्र के सलंग्न दस्तावेजों एवं राज पैरोकार के जवाब का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नंबर की कुल 53.35 बीघा भूमि पीरूखां, कमेखां, नूरेखां पि0 रावत खां के नाम खातेदार दर्ज थी। पीरूखां के फौत होने पर खाजूखां वल्द पीरूखां को ही वारिस मानकर पीरूखां का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो कि सही नहीं है। अतः ग्राम कावनी का नामान्तरकरण सं0 146 दिनांक 05.03.1987 पीरूखां के वारिसान की हद तक निरस्त किया जाकर उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि श्री पीरूखां वल्द रावतखां के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज कर पारित करते हुए पालना प्रेषित करे।
7. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

(शारदा चौधरी)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत